भारत- बलुआपत्थर- जबरन श्रम

रिपोर्टें हैं कि भारत में वयस्क श्रमिकों को बलुआ-पत्थर के उत्पादन में जबरन काम पर लगाया जाता है। प्रवासी श्रमिक और अनुसूचित जातियों के लोग, जो भारत में एक सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है, बलुआ-पत्थर की खदानों में जबरन श्रम के रूप में काम करने के प्रति विशेष रूप से भेद्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एन-जी-ओ, तथा शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार राजस्थान की बलुआ-पत्थरों की खदानों में, जो भारत के 90 प्रतिशत बलुआ-पत्थर का स्रोत है, जबरन-श्रम और ऋण-दासता की घटनाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। प्रवासी और वंचित श्रेणी के श्रमिकों को अच्छे वेतन वाली नौकरियों का लोभ दिखा कर खदानों की ओर आकर्षित किया जाता है, लेकिन उन्हें ख़तरनाक परिस्थितियों में प्रति-दिन या प्रति-उत्पाद के ऐसे वेतन पर काम करना पड़ता है जो इतना कम होता है कि बुनियादी खर्चे भी नहीं उठाए जा सकते। बलुआ-पत्थर की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को सिलिकोसिस का बहुत जोखिम रहता है जो फेफड़ों की ऐसी घातक बीमारी है जो स्फटिक से भरपूर चट्टानों को तोड़ने या खुदाई से पैदा होने वाली धूल सांस के ज़रिए शरीर में चले जाने से पैदा होती है। बहुत मामलों में, खदान के मालिक श्रमिकों को बढ़ते परिवार के और सिलिकोसिस से संबद्ध चिकित्सा के खर्च से निपटने के लिए पेशगी और ऋण दे देते हैं। खदान मालिक इस ऋण के भुगतान के रूप में श्रमिकों का वेतन रोक लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज तथा अतिरिक्त खर्चों के कारण यह ऋण लगातार बढ़ता ही जाता है। नौकरी-दाता हाज़िरी का अनौपचारिक रिकॉर्ड रखते हैं और कितना ऋण बकाया है उसका लिखित ब्योरा बिरले ही जारी करते हैं, जिससे खदान मालिकों को श्रमिकों के वेतन से धन काटने और ऋण को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का मौका मिल जाता है। जब कोई ऋणी श्रमिक इतना बीमार हो जाता है कि काम नहीं कर सकता या मर जाता है तो यह ऋण उसके परिवार के नाम हस्तांतरित हो जाता है जिससे उन्हें संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है या ऋण चुकाने के लिए स्वयं खदान में काम करना पड़ता है।

भारत - बलुआपत्थर- बाल श्रम

ये रिपोर्टें हैं कि भारत में 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे बलुआ-पत्थर उत्पादन करते हैं। राजस्थान में, जहां भारत का 90 प्रतिशत बलुआ-पत्थर उत्पादन होता है, 6 या 7 साल के नन्हे लड़के और लड़कियां बलुआ-पत्थर से फर्शी पत्थर तराशने का काम करते हैं और 13 से 17 वर्ष के लड़के बलुआ-पत्थर की खुदाई करते हैं। प्रवासी परिवारों के बच्चे या अनुसूचित जातियों के बच्चे, जो भारत में एक सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है, बलुआ-पत्थर उत्पादन में बाल-श्रम के रूप में फंसने के प्रति विशेष रूप से भेद्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एन-जी-ओ, तथा शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के अनुमानों के अनुसार, राजस्थान की बलुआ-पत्थर खदानों में हज़ारों बच्चे काम कर रहे हैं। खदानों में काम करने वाले बच्चों को धूप के चश्मे या मुखौटों जैसे सुरक्षा उपकरण बिरले ही दिए जाते हैं, और उनके लिए खतरों का जोखिम रहता है जिसमें पत्थर के उचटते टुकड़ों से गंभीर चोटें लगना तथा खुदाई और पत्थर तोड़ने के धमाकों की तेज़ आवाज़ से बहरा हो जाना; अत्यधिक गर्मी; और सांस के साथ सिलिका-धूल शरीर में पहुंचना शामिल है जिससे फेफड़ों की चिरकालिक बीमारी और मौत तक हो सकती है। कुछ बच्चे रात के समय भी काम करते हैं या ख़तरनाक उपकरणों का संचालन करते हैं।